सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 24, शुक्रवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 15, 2023
Agrahayana 24, Friday , Saka 1945- December 15 , 2023

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 14, 2023

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/593 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2175 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत रैणी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम रैणी व नांगल बास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत डेरा के राजस्व ग्राम डेरा व हाथोज तथा ग्राम पंचायत भूलेरी के राजस्व ग्राम मुकन्दपुरा व जगमालपुरा (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए रैणी को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका रैणी में सम्मिलित ग्राम पंचायत रैणी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम रैणी व नांगल बास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत डेरा के राजस्व ग्राम डेरा व हाथोज तथा ग्राम पंचायत भूलेरी के राजस्व ग्राम मुकन्दपुरा व जगमालपुरा के क्षेत्र (पंचायत समिति-रैणी) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/594 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/3356 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत मुण्डावर के राजस्व ग्राम मुण्डावर एवं ग्राम पंचायत गांधीनगर के राजस्व ग्राम गांधीनगर, गढी व तिनकीरूडी तथा ग्राम पंचायत श्योपुर के राजस्व ग्राम श्योपुर, रैणागिरी, शीतलपुर व मोहम्मदपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए मुण्डावर को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका मुण्डावर में सम्मिलित ग्राम पंचायत मुण्डावर के राजस्व ग्राम मुण्डावर एवं ग्राम पंचायत गांधीनगर के राजस्व ग्राम गांधीनगर, गढी व तिनकीरूडी तथा ग्राम पंचायत श्योपुर के राजस्व ग्राम श्योपुर, रैणागिरी, शीतलपुर व मोहम्मदपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-मुण्डावर) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/595 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/3271 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत नौगांव की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नौगांव के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए नौगांव को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका नौगांव में सम्मिलित ग्राम पंचायत नौगांव की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नौगांव के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-रामगढ) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/596 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.)डीएलबी/23/3311 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं पाटा की सीमा क्षेत्र (जिला अलवर) में आने वाले राजस्व ग्राम मुबारिकपुर, बासथोकदार, नगली मुबारिकपुर, पाटा, रूपबास, खरखडा, नगला चिरावडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए मुबारिकपुर को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था । जिसमें उनकी संशोधित अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/4311 दिनांक 24.08.2023 के द्वारा सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं पाटा की सीमा में आने वाले गॉव रसवाडा को सम्मिलित मानते हुए लिखा/पढा घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका मुबारिकपुर में सम्मिलित ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं पाटा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-रामगढ) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/597 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2686 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत सिकराय की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सिकराय एवं ग्राम कैलाई, मूंडियाखेडा व मोरेड के सम्पूर्ण क्षेत्र (जिला दौसा) को सम्मिलित करते हुए सिकराय को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका सिकराय में सम्मिलित ग्राम पंचायत सिकराय की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सिकराय एवं ग्राम पंचायत नामनेर के राजस्व ग्राम कैलाई, मूंडियाखेडा व

मोरेड के सम्पूर्ण क्षेत्र (पंचायत समिति-सिकराय) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/598 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2260 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डारेज की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम भाण्डारेज के सम्पूर्ण सीमा एवं राजस्व ग्राम अट्टाबिजौरी व भीकली के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला दौसा) को सम्मिलित करते हुए भाण्डारेज को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका भाण्डारेज में सम्मिलित ग्राम पंचायत भाण्डारेज की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम भाण्डारेज के सम्पूर्ण सीमा एवं राजस्व ग्राम अट्टाबिजौरी व भीकली के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-दौसा) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/599 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2766 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत आकोला की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम आकोला, घुरा व सूरतखेरा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला चित्तौडगढ) को सम्मिलित करते हुए आकोला को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका आकोला में सम्मिलित ग्राम पंचायत आकोला की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम आकोला, घुरा व सूरतखेरा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-भूपालसागर) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/600 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2311 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत भीम की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम भीम के सम्पूर्ण सीमा एवं राजस्व ग्राम पेलाडोल व कलालिया के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला राजसमन्द) को सम्मिलित करते हुए भीम को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका भीम में सम्मिलित

ग्राम पंचायत भीम की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम भीम के सम्पूर्ण सीमा एवं राजस्व ग्राम पेलाडोल व कलालिया के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-भीम) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/601 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2846 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत दूनी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम दूनी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला टोंक) को सम्मिलित करते हुए दूनी को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका दूनी में सम्मिलित ग्राम पंचायत दूनी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम दूनी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-देवली) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/602 :-स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2726 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत मावली की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मावली, गाडरियावास व कालाखेत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला उदयपुर) को सम्मिलित करते हुए मावली को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका मावली में सम्मिलित ग्राम पंचायत मावली की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मावली, गाडरियावास व कालाखेत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-मावली) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/603 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2935 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत सुकेत की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सुकेत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला कोटा) को सम्मिलित करते हुए सुकेत को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका सुकेत में सम्मिलित ग्राम पंचायत सुकेत की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व

ग्राम सुकेत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-खैराबाद) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/604 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2891 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत वजीरपुर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम वजीरपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला सवाईमाधोपुर) को सम्मिलित करते हुए वजीरपुर को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका वजीरपुर में सम्मिलित ग्राम पंचायत वजीरपुर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम वजीरपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-गंगापुरसिटी) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/605 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/3228 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत दूदू की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम दूदू व माल की ढाणी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला जयपुर) को सम्मिलित करते हुए दूदू को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका दूदू में सम्मिलित ग्राम पंचायत दूदू की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम दूदू व माल की ढाणी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-दूदू) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/606 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4351 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा (जिला-बांरा) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (केलवाडा, दांता, छिछरोनी, ख्यावदा, उनी, पहाडीजागीर, कलोलियॉ एवं पैनावादा) को सम्मिलित करते हुए केलवाडा को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया था । जिसमें उनकी संशोधित अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4621 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत केलवाडा की

सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम दांता, छिछरोनी एवं ख्यावदा, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम ऊनी, पहाडीजागीर, कलोनिया तथा ग्राम पंचायत बाल्दा का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगरपालिका केलवाडा की सीमा में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियमए 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका केलवाडा में सम्मिलित ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम दांता, छिछरोनी एवं ख्यावदा, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम ऊनी, पहाडीजागीर, कलोनिया व ग्राम पंचायत बाल्दा का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को (पंचायत समिति-शाहबाद) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/607 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4391 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत सीसवाली की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सीसवाली के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला बांरा) को सम्मिलित करते हुए सीसवाली को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका सीसवाली में सम्मिलित ग्राम पंचायत सीसवाली की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सीसवाली के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-मांगरोल) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/608 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2386 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत पौंख एवं ग्राम पंचायत गुडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जिला झुंझुनू) को सम्मिलित करते हुए पौंख को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरपालिका पौंख में सम्मिलित ग्राम पंचायत पौंख एवं ग्राम पंचायत गुडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-उदयपुरवाटी) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/609 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2175 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत रैणी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम रैणी व नांगल बास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत डेरा के राजस्व ग्राम डेरा व हाथोज तथा ग्राम पंचायत भूलेरी के राजस्व ग्राम मुकन्दपुरा व जगमालपुरा (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए रैणी को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है ।

अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका रैणी की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाने अथवा उस भाग को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमन्त्रित करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/610 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2686 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत सिकराय की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम सिकराय एवं ग्राम कैलाई, मूंडियाखेडा व मोरेड के सम्पूर्ण क्षेत्र (जिला दौसा) को सम्मिलित करते हुए सिकराय को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है ।

अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका सिकराय की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाने अथवा उस भाग को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, दौसा को ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमन्त्रित करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/611 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4351 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा (जिला-बांरा) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (केलवाडा, दांता, छिछरोनी, ख्यावदा, उनी, पहाडीजागीर, कलोलियॉ एवं पैनावादा) को सम्मिलित करते हुए केलवाडा को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया था । जिसमें उनकी संशोधित अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4621 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम दांता, छिछरोनी एवं ख्यावदा, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम ऊनी, पहाडीजागीर, कलोनिया तथा ग्राम पंचायत बाल्दा का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगरपालिका केलवाडा की सीमा में सम्मिलित किया गया है । जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है ।

अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका केलवाडा की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाने अथवा उस भाग को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, बांरा को ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमन्त्रित करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।